क्रम-संख्या—116

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 23, फरवरी 1982

फाल्गुन 4, 1903 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 609/ सत्रह-वि0-1-187-1981

लखनऊ, 23 फरवरी, 1982

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982 पर दिनांक 18 फरवरी, 1982 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1982 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1982

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1982)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा।

(2) यह 16 जुलाई, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976 की धारा 4 का संशोधन

2---उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, ---

(एक) वर्तमान परन्तुक में, शब्द "परन्तु" और शब्द "अधिकरण" के बीच में शब्द "यह और कि" बढ़ा दिये जायेंगे ; और

(दो) यथा संशोधित परन्तुक के पहले निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्---

"परन्तु किसी करार के निबन्धनों के अधीन रहते हुए, कोई निर्देश किसी लोक सेवक के स्थानान्तरण से उत्पन्न होने वाले किसी दावा के बारे में नहीं किया जायगा ।"

विचाराधीन कार्यवाहियों का निस्तारण

3---इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर अधिकरण के समक्ष विचाराधीन किसी लोक सेवक के स्थानान्तरण से उत्पन्न होने वाले दावा के बारे में कोई निर्देश उपशमित हो जायगा और ऐसे निर्देश में अधिकरण द्वारा पारित समस्त स्थगन आदेश या अन्य अन्तरिम आदेश निष्प्रभावी हो जायेंगे, इस प्रकार मानों इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा 4 के उपबन्ध सदा प्रवृत्त रहे हैं ।

निरसन और अपवाद

4---(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश या उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1981 द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव ।

No. 609(2)/XVII-V—1-187-1981

Dated Lucknow, February 23, 1982

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Sewa (Adhikaran) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1982 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 1982) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 18, 1982.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (TRIBUNALS) (AMENDMENT) ACT, 1982

(U. P. Act no. 2 of 1982)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) Act, 1976.

It is hereby enacted in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Act, 1982.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 16, 1981.

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 17 of 1976.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) Act, 1976, hereinafter referred to as the principal Act,—

(i) in the existing proviso, *between* the words "Provided" and "that", the word "further" shall be *inserted* ; and

(ii) *before* the proviso, as amended hereinbefore, the following proviso shall be *inserted*, namely:

"Provided that no reference shall, subject to the terms of any contract, be made in respect of a claim arising out of the transfer of a public servant."

Disposal of pending proceedings.

3. Any reference in respect of a claim arising out of the transfer of a public servant pending before the Tribunal on the date of the commencement of this Act shall stand abated and all stay orders or other interim orders, passed by the Tribunal in such reference shall stand vacated as if the provisions of section 4 of the principal Act, as amended by this Act, have always been in force.

Repeal and savings.

4. (1) The Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Second Amendment) Ordinance, 1981 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, but subject to the provisions of this Act, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Ordinance, 1981 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 353 सा० विधा०—24-2-82—(3915)—1982—700 (मे०)।